



राजनीति विज्ञान परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र : एक विवेचना

Reetu

Assistant professor, Department of Political science
R.K.S.D.(P.G) college

‘राजनीति’ शब्द की उत्पत्ति, जो अंग्रेजी शब्द ‘पॉलिटिक्स’ का पर्यायवाची है, ग्रीक शब्द पोलिस (Polis) से हुई है जिसका अर्थ है ‘नगर राज्य’। इस तरह राजनीति शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह नगर राज्य तथा उससे सम्बन्धित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन है। जिस तरह कालान्तर में नगर राज्यों का विकास विशाल राज्यों तथा साम्राज्यों में हुआ, उसी प्रकार राजनीतिक विषय के अध्ययन में भी विकास हुआ। आधुनिक समय में इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार, प्रशासन, व्यक्ति तथा समाज के विविध सम्बन्धों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन से है।

मुख्य शब्द : राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र ।

राजनीति विज्ञान की परिभाषा

राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं- पहला, परंपरागत और दूसरा आधुनिक।

1. परंपरागत दृष्टिकोण

(क) राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में: मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, जिनके अन्तर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। ‘राजनीति’ का पर्यायवाची आंग्ल शब्द ‘पॉलिटिक्स’ (Politics) यूनानी भाषा के ‘Polis’ शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे-छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनानवासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे-धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से सम्बन्धित विषय को ‘राजनीति विज्ञान’ कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है।

ब्लंटशली के अनुसार, “राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका सम्बन्ध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है।”

प्रसिद्ध विद्वान डॉ. गार्नर के अनुसार, “राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारम्भ और अन्त राज्य के साथ होता है।”

(ख) राजनीति विज्ञान 'सरकार के अध्ययन' के रूप में: वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपर्युक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते। ये राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यन्त्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्यरूप में परिणत की जाती है। इसलिए सीले और लीकॉक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के शब्दों में, "राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसन्धान करता है जैसे सम्पत्तिशास्त्र सम्पत्ति का, जीवशास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामितिशास्त्र स्थान एवं लम्बाई-चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लीकॉक का भी कहना है कि "राजनीति विज्ञान सरकार से सम्बन्धित विद्या है।"

(ग) राजनीति विज्ञान 'राज्य और सरकार' दोनों का अध्ययन: उपर्युक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गयी राजनीति विज्ञान की परिभाषाएँ वस्तुतः एकांगी हैं और जहाँ तक राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध है, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं।

फ्रांसीसी विचारक पॉल जैनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि 'राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है।' डिमॉक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि "राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है।" इस सम्बन्ध में गिलक्राइस्ट की परिभाषा कुछ अधिक स्पष्ट है, जिसमें उसने कहा है कि "राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लॉस्की, गैटिल और आधुनिक युग के सभी लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन किया है।

(2) आधुनिक (व्यवहारवादी) दृष्टिकोण : परम्परागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था और यह अध्ययन संस्थात्मक था अर्थात् इसमें राज्य, सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को ही अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद ज्ञान के क्षेत्र में जिन नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, उनके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान के अध्ययन की समस्त स्थिति के सम्बन्ध में असन्तोष का उदय हुआ। "इस असन्तोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणामस्वरूप स्थिति में परिवर्तन आया।"

द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के सम्बन्ध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। इन वर्षों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो 'व्यवहारवादी क्रान्ति' हुई, उसमें इस बात पर बल दिया गया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों (राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक) को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है।



आधुनिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गयी है जिसमें राज्य को ही नहीं, वरन् समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के सन्दर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में 'अन्तर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण' (Inter-disciplinary Approach) को अपनाया जाना चाहिए।

राजनीति विज्ञान की परिभाषा के सम्बन्ध में एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अन्तर आया है। इस विषय की परम्परागत परिभाषाएँ संस्थागत हैं और इनमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राज्य, सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के साथ जोड़ा गया है। लेकिन राजनीति विज्ञान के आधुनिक लेखक इस संस्थात्मक दृष्टिकोण को अनुचित और अपर्याप्त समझते हैं। आधुनिक लेखकों का विचार है कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों न हों, उनके पीछे दृश्य और अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया कार्य करती है और यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से यह प्रक्रिया ही अधिक महत्वपूर्ण है। अतः आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन साधनों और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएँ कार्य करती हैं। इसी आधार पर आधुनिक लेखकों (जी. ई. जी. कैटलिन, मैक्स वेबर, एच. डी. लासबेल, डेविड ईस्टन और हरमन हैलर आदि) के द्वारा राजनीति विज्ञान को 'शक्ति', 'प्रभाव', 'सत्ता', 'नियन्त्रण', 'निर्णय' और 'मूल्यों' का अध्ययन बताया गया है। इन विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से इसी रूप में भिन्न है कि वह समाज के अन्तर्गत शक्ति या नियन्त्रण के तत्व का अध्ययन करता है। कैटलिन राजनीति विज्ञान को 'शक्ति का विज्ञान' (Science of power) मानते हैं तथा लासबेल और कैपलान परिभाषित करते हैं कि "एक आनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है।"

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र

विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं:

1. मानव का अध्ययन : राजनीति शास्त्र (political science) के विषय में व्यक्ति की स्थिति केन्द्रीय है। यदि राजनीति शास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाये तो उसका अध्ययन नीरस हो जायेगा। सभी राजनीतिक संस्थाएँ व्यक्ति द्वारा संचालित होती हैं। इनका अस्तित्व व्यक्ति की सुरक्षा, विकास एवं वृद्धि के लिए विद्यमान है। यदि ये व्यक्ति और समाज के हितों की पूर्ति नहीं करतीं तो ये अर्थशून्य हो जायेंगी और इनकी उपयोगिता नष्ट हो जायेगी। इनका औचित्य इसी में है कि ये व्यक्ति एवं समाज के मूल्यों को प्राप्त करें और उन्हें सुखी बनायें।

2. राज्य का अध्ययन : राज्य राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है। राज्य का पूर्ण अध्ययन राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। यह इस बात का अध्ययन करता है कि राज्य कैसा रहा है, कैसा है और इसे कैसे होना चाहिए। राज्य के अतीत के अध्ययन द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के प्रारम्भिक स्वरूपों तथा उनके विकास के भिन्न-भिन्न चरणों को समझा जा सकता है। राज्य के वर्तमान के अध्ययन द्वारा उन प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है जो व्यक्ति और समाज के मूल्यों, जैसा कि शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा, सुख आदि के मार्ग में बाधाएँ डालती हैं। इनके ज्ञान से वर्तमान चुनौतियों को समझा जा सकता है तथा समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। राज्य के भविष्य के अध्ययन से तात्पर्य यह है कि भूत और वर्तमान

के अनुभव के आधार पर भविष्य की राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप एवं संगठन को इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि वे व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

3. सरकार का अध्ययन : राज्य एक अमूर्त संस्था है। इसका मूर्त रूप सरकार है। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, इसे कार्यान्वित करती है तथा इसकी सिद्धि के लिए प्रयास करती है। अतः राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सरकार का अध्ययन अनिवार्य है।

राजनीति शास्त्र सरकार के ऐतिहासिक विकास, इसके भिन्न स्वरूपों (प्रकारों), इसके भिन्न-भिन्न अंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा इनके पारस्परिक सम्बन्धों, प्रशासन (नौकरशाही), राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे- निर्वाचन, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल, दबाव समूहों, जनमत आदि का अध्ययन करता है।

4. राजनीतिक दर्शन का अध्ययन : राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र का विषय है। यह इसका आधार है। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दर्शन को राजनीति शास्त्र का पूर्वगामी माना है। राजनीतिक दर्शन में उन राजनीतिक सिद्धान्तों, राज्य के स्वरूप एवं उद्देश्य, राज्य व्यक्ति एवं सरकार व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों आदि की विवेचना की जाती है जिन पर राजनीति शास्त्र आधारित है। प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धान्तों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। अतः राजनीति शास्त्र के लिये राजनीतिक दर्शन का अध्ययन अनिवार्य है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन : राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता। राज्य अकेले या शून्यता में कार्य नहीं करता। उसे दूसरे राज्यों के सन्दर्भ में कार्य करना पड़ता है। उसे दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के समझौते एवं सन्धियाँ करनी पड़ती हैं। राज्यों के इन पारस्परिक सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की संज्ञा दी जाती है। कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य नीतियों तथा नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। अतः राजनीति शास्त्र को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करना पड़ता है।

6. राजनय : राजनीति शास्त्र राजनय का अध्ययन करता है। इसका मूल कारण यह है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं।

7. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : अन्तर्राष्ट्रीय विधि राजनीति शास्त्र का विषय है। प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है और उसकी सीमायें निर्धारित होती हैं। फिर भी युद्ध और शान्ति के प्रश्न, युद्धवन्दियों का प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्पण (Extradition), जैसे अनेक विषय हैं, जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं करता। इन विषयों को अन्य राज्यों के सन्दर्भ में ही निश्चित किया जाता है। इन्हें जो विधि निर्धारित करती है उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं।

8. राजनीतिक दलों व दबाव समूह का अध्ययन : आज राजनीति विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में संलग्न है और अध्ययन के इस क्रम में राजनीतिक दल व दबाव समूह सबसे अधिक प्रमुख रूप में आते हैं। वस्तुतः यही तो वह संस्थाएँ हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव समूह के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है।

9. स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन : राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं।



आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है, अतः राष्ट्रीय समस्याएँ हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग हो जाती हैं।

उपसंहार

वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज सम्पूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आज के राजनीतिशास्त्रियों द्वारा इस बात पर निरन्तर विचार किया जा रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से उत्पन्न संकट और इसी प्रकार अन्य समस्याओं के हल के लिए कौन-से उपाय अपनाये जाने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- Pandey J.N. – Constitutional Law of India, Allahabad, Central Law Agency, 2003.
- Pylee, M.V. Constitutional Amendments in India, Delhi, Universal Law, 2003.
- Jois, Justice M.Rama – Legal and Constitutional History of India, Delhi, Universal Law Publishing Co. 2005.
- Kautilya – The Constitutional History of India 2002, Bombay: C Jammadas & Co. Educational and Law Publishers.
- Keith, Arthur Berriedale- A Constitutional History of India 1600-1935, London, Methuan & Co.Ltd, 1937
- Austin, Granville – Working a Democratic Constitution: The Indian Experience, Delhi Oxford University Press 1999.
- Sharma, Brij Kishore – Introduction to the Constitution of India New Delhi, Prentice – Hall of India, 2005.